

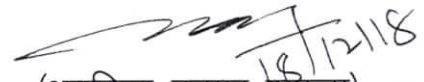
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/7365/

जबलपुर, दिनांक 20/12/2018

कु. प्रभा यादव, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की पदोन्नति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6441 जबलपुर, दिनांक 11.12.2018 द्वारा अनुभाग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर होने के फलस्वरूप उन्हें खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 22.12.2018 अपरान्ह से कार्यभार मुक्त किया जाता है।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/7366/

जबलपुर, दिनांक 20/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर(म.प्र.) की ओर इस अनुरोध के साथ कि उनके अवकाश खाते में 4 1/2 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 1 दिवस का ऐच्छिक अवकाश शेष है,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/ग्वालियर,
4. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ओ.एस.डी.(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार(न्या.) के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/जी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. कु. प्रभा यादव, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

:-:-

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/7367 /

जबलपुर, दिनांक 20/12/2018

श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर से एम.ओ.एम अंग्रेजी शीघ्रलेखन सत्र-2018-19 में नियमित रूप से अध्ययन करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

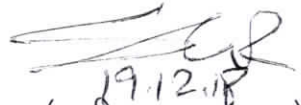

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/7368 /

जबलपुर, दिनांक 20/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)